रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22012021-224640
CG-DL-E-22012021-224640

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 31] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 22, 2021/माघ 2, 1942
No. 31] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 22, 2021/MAGHA 2, 1942

India Code

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 2021

सा.का.नि. 40(अ).— केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 135 और धारा 469 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के द्वारा प्रद्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी (कारपोरेट सामाजिक दायित्व नीति) नियम, 2014 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित और नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (कारपोरेट सामाजिक दायित्व नीति) संशोधन नियम, 2021 है।

(2) ये राजपत्र में, जब तक इस अधिसूचना में स्पष्टतया अन्यत्र उपबंध न किए गए हों, इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. कंपनी (कारपोरेट सामाजिक दायित्व नीति) नियम, 2014 में नियम 2 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"2. परिभाषाएं – (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "अधिनियम" से कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) अभिप्रेत है;

(ख) "प्रशासनिक उपशीर्ष" से कंपनी में कारपोरेट सामाजिक दायित्व कार्यों से संबंधित, 'सामान्य प्रबंधन और प्रशासन' के लिए कंपनी द्वारा उपगत किया गया व्यय अभिप्रेत है, किंतु, इसमें किसी विशेष कारपोरेट सामाजिक दायित्व परियोजना अथवा कार्यक्रम के डिज़ाइनिंग, कार्यान्वयन, अनुवीक्षण और मूल्यांकन के लिए प्रत्यक्षत: उपगत किया गया व्यय सम्मिलित नहीं होगा;

(ग) "उपाबंध" से इन नियमों के साथ संलग्न अभिप्रेत उपाबंध है;

(घ) "कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर)" से इन नियमों में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार अधिनियम की धारा 135 में अधिकथित इसके कानूनी आक्षेप के अनुसरण में कंपनी द्वारा शुरू किए गए क्रियाकलाप अभिप्रेत है, अर्थात्:-

i) कंपनी के कारबार से संबंधित सामान्य अनुक्रम के अनुसरण में शुरू किए गए क्रियाकलाप:

परन्तु कारबार से संबंधित सामान्य अनुक्रम में नये टीकों, औषधों और चिकित्सा उपकरणों के बारे में अनुसंधान और विकासगत क्रियाकलाप में लिप्त कोई कंपनी निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन वित्तीय वर्ष 2020-21, 2021-22, 2022-23 के लिए कोविड-19 से संबंधित नये टीकों, औषधों और चिकित्सा उपकरणों के बारे में अनुसंधान और विकास कार्य कर सकते हैं-

(क) ऐसे अनुसंधान और विकास कार्यकलापों को अधिनियम से संबंधित अनुसूची VII की मद (ix) में उल्लिखित संस्थानों अथवा संगठनों में से किसी के भी सहयोग से निष्पादित किया जाएगा;

(ख) ऐसे क्रियाकलाप का विवरण बोर्ड की रिपोर्ट में सम्मिलित सीएसआर पर दी गई वार्षिक रिपोर्ट में अलग से प्रकट किया जाएगा;

ii) कंपनी द्वारा भारत के बाहर शुरू किए गए ऐसे किसी क्रियाकलाप, जिसमें किसी राज्य अथवा राष्ट्रीय स्तर पर संघ-राज्य क्षेत्र और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले भारतीय क्रीड़ा से संबंधित कार्मिकों का प्रशिक्षण सम्मिलित नहीं होगा;

iii) अधिनियम की धारा 182 के अधीन किसी राजनीतिक दल को प्रत्यक्षत: अथवा अप्रत्यक्षत: अंशदान

iv) मजदूर संहिता, 2019 (2019 का 29) की धारा 2 के खंड (ट) में यथा-परिभाषित कंपनी के कर्मचारियों को लाभ पहुंचाने वाले क्रियाकलाप;

v) कंपनी के उत्पादों अथवा सेवाओं के लिए विपणन के लाभों को प्राप्त करने हेतु प्रायोजन आधार पर कंपनियों द्वारा समर्थित क्रियाकलाप;

vi) भारत में प्रवृत्त किसी भी विधि के अधीन किसी अन्य कानूनी आक्षेपों को पूर्ण करने के लिए निष्पादित क्रियाकलाप;

(ङ) "सीएसआर समिति" से अधिनियम की धारा 135 में निर्दिष्ट बोर्ड की कारपोरेट सामाजिक दायित्व समिति अभिप्रेत है;

(च) "सीएसआर नीति" से कंपनी की सीएसआर समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए उसके बोर्ड द्वारा दिए गए निर्देश और किए गए प्रयासों का विवरण अभिप्रेत है जिसमें संबंधित क्रियाकलापों के चयन, कार्यान्वयन, अनुवीक्षण और वार्षिक कार्य योजना का निर्धारण करने संबंधी दिशा-निर्देश प्रदान करने वाले सिद्धांत सम्मिलित होंगे;

(छ) "अंतर्राष्ट्रीय संगठन" से संयुक्त राष्ट्र संघ (विशेषाधिकार और संरक्षण) अधिनियम, 1947 (1947 का 46) की धारा 3 के अधीन किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित संगठन अभिप्रेत है जिस पर उक्त अधिनियम की अनुसूची के उपबंध लागू होंगे;

(ज) "शुद्ध लाभ" से अधिनियम के लागू उपबंधों के अनुसरण में तैयार किए गए वित्तीय विवरण के अनुसार किसी कंपनी का शुद्ध लाभ अभिप्रेत है, किंतु इसमें निम्नलिखित सम्मिलित नहीं हैं, अर्थात् -

(i) कंपनी की विदेश स्थित किसी शाखा अथवा शाखाओं, चाहे वह अलग कंपनी के रूप में अथवा अन्यथा कार्यरत है, से प्राप्त कोई लाभ, और

(ii) भारत में अन्य कंपनियों जो अधिनियम की धारा 135 के अधीन सम्मिलित हैं अथवा इसके उपबंधों का अनुपालन करती हैं, से प्राप्त कोई लाभांशः

परंतु यह और कि इन नियमों के अधीन आने वाली विदेशी कंपनी के मामले में शुद्ध लाभ से अधिनियम की धारा 198 के साथ पठित धारा 381 की उपधारा (1) के खंड (क) के अनुसार तैयार लाभ-हानि खाते के अनुरूप ऐसी कंपनी का शुद्ध लाभ अभिप्रेत है।

(i) "चालू परियोजना" से शुरू किए गए वित्तीय वर्ष को छोड़कर तीन वर्ष की समय-सीमा के साथ अपने सीएसआर दायित्व को पूरा करने में कंपनी द्वारा शुरू की गई बहुवर्षीय परियोजना अभिप्रेत है जिसमें ऐसी परियोजना सम्मिलित नहीं होगी जिसे शुरू में बहुवर्षीय परियोजना के रूप में शुरू नहीं किया गया था तथापि जिसकी अवधि युक्तियुक्त औचित्य पर आधारित मंतव्य के साथ एक वर्ष बढ़ा दी गई है;

(ञ) "लोक प्राधिकारी" से सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का 22) से संबंधित धारा 2 के उप-खंड (ज) में यथा-परिभाषित 'लोक प्राधिकारी' अभिप्रेत है।

(ट) "धारा" से अधिनियम की एक धारा अभिप्रेत है;

(2) इन नियमों में प्रयुक्त शब्दों और अभिव्यक्तियों, जिन्हें इन नियमों में परिभाषित नहीं किया गया है किंतु अधिनियम में परिभाषित किया गया है, के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में दिए गए हैं।"।

3. उक्त नियमों में, नियम 3 में, उप-नियम (2), खंड (ख) "उप-धारा (2) से (5)" शब्दों, अक्षरों और अंकों के स्थान पर "उप-धारा (2) से (6)" शब्दों, अक्षरों और अंकों को रखा जाएगा।

4. उक्त नियम में, नियम 4 के लिए निम्नलिखित को रखा जाएगा, अर्थात्:-

"4. सीएसआर कार्यान्वयन.- (1) बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि सीएसआर संबंधी क्रियाकलाप कंपनी द्वारा स्वयं अथवा निम्नलिखित के माध्यम से शुरू किए जाएं:-

(क) किसी कंपनी द्वारा एकल रूप में अथवा किसी अन्य कंपनी के साथ आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 12क और 80छ के अधीन अधिनियम की धारा 8 अथवा रजिस्ट्रीकृत सार्वजनिक न्यास अथवा रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी के अधीन स्थापित कंपनी, अथवा

(ख) केंद्रीय सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 8 अथवा रजिस्ट्रीकृत न्यास अथवा रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी के अधीन स्थापित कंपनी; अथवा

(ग) संसद के अधिनियम अथवा राज्य के विधान के अधीन स्थापित कोई कंपनी; अथवा

(घ) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12क और 80छ के अधीन रजिस्ट्रीकृत सार्वजनिक न्यास अथवा रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी अथवा अधिनियम की धारा 8 के अधीन स्थापित कंपनी जिसके पास ऐसे ही क्रियाकलाप शुरू करने का कम से कम तीन वर्षों का अनुभव हो।

(2) (क) सीएसआर से संबंधित किसी क्रियाकलाप को शुरू करने वाली और उप-नियम (1) के अधीन सम्मिलित प्रत्येक अस्तित्व स्वयं को **01 अप्रैल, 2021** से रजिस्ट्रार के पास इलैक्ट्रानिक आधार पर सीएसआर-1 प्ररूप को भरकर केंद्रीय सरकार के साथ स्वयं का रजिस्ट्रीकरण कराएगी:

पंरतु कि **अप्रैल, 2021 की पहली तारीख से** से पहले अनुमोदित इस उप-नियम के उपबंध सीएसआर परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों को प्रभावित नहीं करेगें।

(ख) प्ररूप सीएसआर-1 को अस्तित्व द्वारा इलैक्ट्रानिक आधार पर हस्ताक्षरित करके प्रस्तुत किया जाएगा और उसे व्यवसाय में लागत लेखाकार अथवा व्यवसाय में कंपनी सचिव अथवा व्यवसाय में लागत लेखाकार द्वारा अंकीय रूप में सत्यापित किया जाएगा।

(ग) पोर्टल पर प्ररूप सीएसआर-1 डाले जाने पर संबंधित प्रणाली द्वारा स्वतः ही एक यूनीक सीएसआर रजिस्ट्रीकरण संख्या सृजित हो जाएगी।

(3) कंपनी अपनी सीएसआर नीति के अनुसार कारपोरेट सामाजिक दायित्व परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों और सीएसआर के लिए अपने स्वयं के कार्मिकों के क्षमता निर्माण हेतु उसकी रूप-रेखा, अनुवीक्षण और मूल्यांकन हेतु अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को नियोजित कर सकती है।

(4) कंपनी परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों अथवा सीएसआर कार्यकलापों को इस प्रकार शुरू करने के लिए अन्य कंपनियों के साथ सहयोग कर सकती है जिससे संबंधित कंपनियों की सीएसआर समितियां इस स्थिति में आ जाएं कि वे इन नियमों के अनुसार ऐसी परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों पर अलग से रिपोर्ट करें।

(5) कंपनी का बोर्ड अपने आपको इस आशय के साथ संतुष्ट करेगा कि इस प्रकार से संवितरित निधियों का उपयोग अभीष्ट निर्धारित प्रयोजनों और उसके तथा मुख्य वित्तीय अधिकारी द्वारा अनुमोदित रीति से किया गया है तथा वित्तीय प्रबंधन के लिए जिम्मेदार व्यक्ति इस आशय के साथ इसे प्रमाणित करेगा।

(6) चालू परियोजना के मामले में, कंपनी का बोर्ड अनुमोदित समय-सीमा और वर्ष-वार आबंटन के संदर्भ में परियोजना के कार्यान्वयन का अनुवीक्षण करेगा और वह समग्र अनुज्ञेय समय अवधि के भीतर परियोजना के सुचारू कार्यान्वयन हेतु उसमें संशोधन, यदि कोई है, करने में सक्षम होगा।"।

5. उक्त नियम में, नियम 5 में, उप-नियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(2) सीएसआर समिति बोर्ड से सिफारिश करेगी कि उसकी सीएसआर नीति के अनुसरण में एक वार्षिक कार्य योजना बनाई जाए, जिसमें निम्नलिखित तथ्य सम्मिलित होंगे:-

(क) सीएसआर परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों की वह सूची जिसे अधिनियम की अनुसूची VII में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों अथवा विषयों में शुरू करने के लिए अनुमोदित किया गया है;

(ख) नियम 4 के उप-नियम (1) में यथा-विनिर्दिष्ट ऐसी परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति;

(ग) परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों के लिए निधियों के उपयोग और कार्यान्वयन अनुसूचियों से संबंधित दिशा-निर्देश;

(घ) परियोजना अथवा कार्यक्रमों के लिए अनुवीक्षण और रिपोर्टिंग क्रियाविधि और;

(ङ) कंपनी द्वारा शुरू की गई परियोजना के लिए, यदि कोई है, आवश्यकता और प्रभाव मूल्यांकन का विवरण:

परंतु कि बोर्ड इस आशय के साथ संगत औचित्य पर आधारित अपनी सीएसआर समिति की सिफारिश के अनुसार वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय ऐसी योजना में परिवर्तन कर सकता है।"।

6. उक्त नियम में, नियम 6 का लोप किया जाएगा।

7. उक्त नियम में, नियम 7 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम को रखा जाएगा, अर्थात्:-

"7. सीएसआर व्ययः (1) बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि प्रशासनिक उप-शीर्ष वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के कुल सीएसआर व्यय के पांच प्रतिशत से अधिक न हो।

(2) सीएसआर परियोजना कार्यकलापों से उत्पन्न अधिशेष कंपनी के व्यापारिक लाभ का भाग नहीं होंगे और उन्हें उसी परियोजना में वापस डाल दिया जाएगा अथवा उन्हें अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरित करके सीएसआर नीति और कंपनी की वार्षिक कार्य योजना के अनुसरण में खर्च किया जाएगा अथवा ऐसी अधिशेष राशि को वित्तीय वर्ष समाप्त होने के छः माह की अवधि के भीतर अनुसूची-VII में विनिर्दिष्ट निधि में डाल दिया जाएगा।

(3) जहां कहीं कोई कंपनी धारा 135 की उप-धारा (5) के अधीन उपलब्ध कराई गई आवश्यकता से अधिक राशि खर्च करती है वहां ऐसी अधिक राशि को निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन तत्काल आगामी तीन वित्तीय वर्षों तक धारा 135 की उप-धारा (5) के अधीन खर्च करने संबंधी आवश्यकता पर मुजरा किया जा सकता है कि -

(i) सेट ऑफ के लिए उपलब्ध अधिक राशि में इस नियम के उप-नियम (2) के अनुसरण में सीएसआर कार्यकलापों के फलस्वरूप उत्पन्न अधिशेष राशि सम्मिलित नहीं होगी;

(ii) कंपनी का बोर्ड इस आशय का संकल्प पारित करेगा।

(4) सीएसआर राशि को कंपनी द्वारा पूंजीगत परिसंपत्ति के सृजन अथवा अधिग्रहण के लिए व्यय किया जाएगा जिसे निम्नलिखित द्वारा ही धारित किया जाएगा-

(क) अधिनियम की धारा 8 अथवा नियम 4 के उप-नियम (2) के अधीन परोपकार्थ उद्देश्यों और सीएसआर रजिस्ट्रीकरण संख्या वाले रजिस्ट्रीकृत सार्वजनिक न्यास अथवा रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी के अधीन स्थापित कंपनी; अथवा

(ख) स्वयं सहायता समूह, संगठनों, कंपनियों के रूप में उक्त सीएसआर परियोजना के लाभार्थी; अथवा

(ग) लोक प्राधिकारी:

पंरतु कि कंपनी (कारपोरेट सामाजिक दायित्व नीति) संशोधन नियम, 2021 के प्रारंभ से पहले कंपनी द्वारा सृजित कोई पूंजीगत परिसंपत्ति ऐसे प्रारंभ से पहले एक सौ अस्सी दिनों की अवधि के भीतर इस नियम की अनुपालना करेगे जिसे संगत औचित्य पर आधारित बोर्ड के अनुमोदन के साथ नब्बे दिनों की अवधि के लिए विस्तारित किया जा सकता है।"।

8. उक्त नियमों में, नियम 8 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

8. "सीएसआर रिपोर्टिंग :- (1) किसी वित्तीय वर्ष से संबंधित इन नियमों के अधीन कवर की गई किसी कंपनी के बोर्ड की रिपोर्ट में उपाबंध-I अथवा उपाबंध-II, यथा-लागू, में विनिर्दिष्ट विवरण वाली कारपोरेट सामाजिक दायित्व संबधी वार्षिक रिपोर्ट सम्मिलित होगी।

(2) किसी विदेशी कंपनी के मामले में, अधिनियम की धारा 381 की उप-धारा (1) के खंड (ख) के अधीन फाइल किए गए तुलन-पत्र में उपाबंध-I अथवा उपाबंध-II, यथा-लागू, में विनिर्दिष्ट विवरण वाली कारपोरेट सामाजिक दायित्व संबधी वार्षिक रिपोर्ट समाविष्ट होगी।

(3)(क) इस अधिनियम की धारा 135 की उप-धारा (5) के अनुसरण में दस करोड़ रुपये अथवा इससे अधिक के औसत सीएसआर दायित्व वाली प्रत्येक कंपनी, तीन तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों में, किसी स्वतंत्र अभिकरण के माध्यम से एक करोड़ रुपये अथवा इससे अधिक के परिव्यय वाली, और जो प्रभाव अध्ययन करने से पूर्व एक वर्ष से कम समय में पूरी नहीं की गई हैं, अपनी सीएसआर परियोजनाओं का प्रभाव मूल्यांकन कराएगी।

(ख) प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्टें बोर्ड के समक्ष रखी जाएगी और कारपोरेट सामाजिक दायित्व संबंधी वार्षिक रिपोर्ट के साथ संलग्न की जाएगी।

IndiaCode

(ग) प्रभाव मूल्यांकन कराने वाली कोई कंपनी उस वित्तीय वर्ष के लिए कारपोरेट सामाजिक दायित्व पर किए गए व्यय को बही में लिख सकती है जो उस वित्तीय वर्ष के लिए कुल कारपोरेट सामाजिक दायित्व के व्यय का पांच प्रतिशत अथवा पचास लाख रुपये, जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगा।"।

9. उक्त नियमों में, नियम 9 के लिए, निम्नलिखित नियम रखे जाएंगे, अर्थात्:-

9. "सीएसआर कार्यकलापों को अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित करना:- कंपनी का निदेशक बोर्ड सीएसआर समिति की संरचना, और सीएसआर नीति तथा बोर्ड द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं को अनिवार्य रूप से आम जनता के अवलोकन के लिए अपनी वेबसाइट, यदि कोई हो, पर दर्शित करेगा।

10. **खर्च न की गई सीएसआर राशि का अंतरण.-** जब तक ऐसी निधि अधिसूचित की जाती है, इस अधिनियम की धारा 135 की उप-धारा (5) और उप-धारा (6) के उपबंधों के अधीन अव्ययित कारपोरेट सामाजिक दायित्व राशि इस अधिनियम की अनुसूची-VII में सम्मिलित किसी निधि के लिए कंपनी द्वारा अंतरित की जाएगी।"

10. उक्त नियमों में,-

(i) उपाबंध को "उपाबंध-I" के रूप में संख्यांकित किया जाएगा और उपाबंध-I के शीर्षक में, "बोर्ड की रिपोर्ट" शब्दों और अंकों के पश्चात्, "अप्रैल, 2020 के प्रथम दिन से पूर्व आरंभ वित्तीय वर्ष के लिए" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ii) इस प्रकार संख्यांकित उपाबंध-I के पश्चात्, निम्नलिखित उपाबंध अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"उपाबंध-II

अप्रैल, 2020 के प्रथम दिन को अथवा इसके पश्चात् आरंभ वित्तीय वर्ष के लिए बोर्ड की रिपोर्ट में सम्मिलित किए जाने के लिए सीएसआर क्रियाकलापों पर वार्षिक रिपोर्ट के लिए प्रपत्र

1. कंपनी की सीएसआर नीति के संबंध में संक्षिप्त रूप-रेखा।

2. सीएसआर समिति की संरचना :

क्र.सं.	निदेशक का नाम	पदनाम/निदेशक पद का स्वरूप	वर्ष के दौरान सीएसआर समिति की संपन्न बैठकों की संख्या	वर्ष के दौरान सीएसआर समिति की उन बैठकों की संख्या जिनमें भाग लिया गया

3. वह वेब-लिंक प्रदान करें जहां सीएसआर समिति की संरचना, सीएसआर नीति और बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाएं कंपनी की वेबसाइट पर प्रकट की गई हैं।
4. कंपनी (कारपोरेट सामाजिक दायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 8 के उप-नियम (3) के अनुसरण में निष्पादित सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव मूल्यांकन का ब्यौरा प्रदान करें, यदि लागू हो (रिपोर्ट संलग्न करें)।
5. कंपनी (कारपोरेट सामाजिक दायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 7 के उप-नियम (3) के अनुसरण में मुजरे के लिए उपलब्ध राशि का ब्यौरा और वित्तीय वर्ष के लिए मुजरे हेतु

अपेक्षित राशि, यदि कोई है :

6. धारा 135(5) के अनुसार कंपनी का औसत शुद्ध लाभ

7. (क) धारा 135(5) के अनुसार कंपनी का औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत

(ख) पिछले वित्तीय वर्षों का सीएसआर परियोजना या कार्यक्रमों या गतिविधियों का अधिशेष

(ग) वित्तीय वर्ष के लिए तय की जाने वाली राशि, यदि कोई हो

(घ) वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर देनदारी (7क+7ख-7ग)

8. (क) वित्तीय वर्ष के लिए व्ययित अथवा अव्ययित सीएसआर राशि :

वित्तीय वर्ष के लिए व्ययित कुल राशि	खर्च न की गई राशि (रुपये में)				
	धारा 135(6) के अनुसार अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरित कुल राशि		धारा 135(5) के द्वितीय परंतुक के अनुसार अनुसूची-VII के अधीन यथा-विनिर्दिष्ट किसी निधि में अंतरित राशि		
	राशि	अंतरण की तारीख	निधि का नाम	राशि	अंतरण की तारीख

(ख) वित्तीय वर्ष के लिए जारी परियोजनाओं के विरुद्ध खर्च की गई सीएसआर राशि का ब्यौरा :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
क्र.सं.	परियोजना का नाम	इस अधिनियम की अनुसूची-VII में कार्यकलापों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र (हां/नहीं)	परियोजना की अवस्थिति		परियोजना अवधि	परियोजना के लिए आवंटित राशि (रुपये में)	वर्तमान वित्तीय वर्ष में व्यय की गई राशि (रुपये में)	धारा 135(6) के अनुसार परियोजना के लिए अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरित की गई राशि (रुपये में)	कार्यान्वयन की रीति – सीधे (हां/नहीं)	कार्यान्वयन की रीति – कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
				राज्य	जिला						

											नाम	सीएसआर रजिस्ट्रीकरण संख्या
1												
2												
3												
	कुल											

(ग) वित्तीय वर्ष के लिए जारी परियोजनाओं के अलावा अन्य पर व्यय की गई सीएसआर राशि का ब्यौरा :

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	
क्र.सं.	परियोजना का नाम	इस अधिनियम की अनुसूची-VII में कार्यकलापों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र (हां/नहीं)	परियोजना की अवस्थिति		वर्तमान वित्तीय वर्ष में व्यय की गई राशि (रुपये में)	कार्यान्वयन की रीति – सीधे (हां/नहीं)	कार्यान्वयन की रीति – कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य	जिला			नाम	सीएसआर रजिस्ट्रीकरण संख्या
1									
2									
3									
	कुल								

(घ) प्रशासनिक ऊपरी व्यय में खर्च की गई राशि।

(ङ) प्रभाव मूल्यांकन पर खर्च की गई राशि, यदि लागू हो।

(च) वित्तीय वर्ष (8ख+8ग+8घ+8ङ) के लिए खर्च की गई कुल राशि।

(छ) सेट ऑफ, यदि कोई हो, के लिए अधिक राशि

क्र.सं.	विशिष्टी	रकम (रुपए में)
(i)	धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का 2 प्रतिशत	
(ii)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की जाने वाली कुल राशि	
(iii)	वित्तीय वर्ष [(ii)-(i)] के लिए खर्च की जाने वाली अधिक राशि	
(iv)	पूर्व वित्तीय वर्ष, यदि कोई हो, के सीएसआर परियोजना या कार्यक्रम या क्रियाकलाप से उद्भूत अधिशेष	
(v)	सेट ऑफ [(iii)-(iv)] के लिए उपलब्ध राशि	

9. पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों के लिए व्ययित अथवा अव्ययित सीएसआर राशि का ब्यौरा

क्र.सं.	पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष	धारा 135(6) के अधीन अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरित राशि	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (रुपये में)	धारा 135(5) के द्वितीय परंतुक के अनुसार अनुसूची-VII के अधीन यथा-विनिर्दिष्ट किसी विधि में अंतरित राशि, यदि कोई हो।			पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों में खर्च की जाने वाली शेष राशि
				निधि का नाम	राशि (रुपये में)	अंतरण की तारीख	
1							
2							
3							
	कुल						

(ख) पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों की चालू परियोजनाओं के लिए व्ययित सीएसआर राशि का ब्यौरा :

क्र.सं.	परियोजना पहचान	परियोजना का नाम	वित्तीय वर्ष जिसमें परियोजना आरंभ हुई थी	परियोजना अवधि	परियोजना के लिए आवंटित कुल राशि (रुपये में)	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में व्ययित राशि (रुपये में)	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष के अंत में व्ययित संचयी राशि	परियोजना की स्थिति – पूर्ण की गई / चालू है
1								
2								
3								
	कुल							

IndiaCode

10. पूंजीगत परिसंपत्ति के सृजन अथवा अधिग्रहण के मामले में, वित्तीय वर्ष में सीएसआर व्यय के माध्यम से इस प्रकार सृजित अथवा अधिगृहीत परिसंपत्ति से संबंधित ब्यौरा प्रस्तुत करें। (परिसंपत्ति-वार ब्यौरा)

(क) पूंजीगत परिसंपत्ति (यों) के सृजन अथवा अधिग्रहण की तारीख

(ख) पूंजीगत परिसंपत्ति के सृजन अथवा अधिग्रहण के लिए व्यय की गई सीएसआर राशि

(ग) उस कंपनी अथवा सार्वजनिक प्राधिकरण या लाभार्थी का ब्यौरा जिसके नाम से ऐसी पूंजीगत परिसंपत्ति रजिस्ट्रीकृत है, उनका पता इत्यादि।

(घ) सृजित अथवा अधिगृहीत पूंजीगत परिसंपत्ति(यों) का ब्यौरा प्रदान करें (ऐसी पूंजीगत परिसंपत्ति के पूर्ण पते और अवस्थिति सहित)

11. कारण (णों) को विनिर्दिष्ट करें, यदि कंपनी धारा 135(5) के अनुसार औसत शुद्ध लाभ के 2 प्रतिशत खर्च करने में असफल हुई हो :

ह/-	ह/-	ह/-
(मुख्य कार्यकारी अधिकारी अथवा प्रबंध निदेशक या निदेशक)	(अध्यक्ष सीएसआर समिति)	[इस अधिनियम की धारा 380 की उप-धारा (1) के खंड (घ) के अधीन निर्दिष्ट व्यक्ति] (जहां कहीं लागू हो)

11. उक्त नियमों में, उपाबंध-II के पश्चात्, निम्नलिखित ई-प्ररूप अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

" **सीएसआर-1** (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 तथा कंपनी (कारपोरेट सामाजिक दायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 4(1) और (2) के अनुसरण में।	सत्यमेव जयते	**सीएसआर क्रियाकलाप निष्पादित करने के लिए कंपनियों का रजिस्ट्रीकरण**

प्ररूप भाषा o अंग्रेजी o हिन्दी
प्ररूप भरने के लिए निर्देश किट देखें।

1. अस्तित्व का नाम _____

O कंपनी आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन धारा 12क और धारा 80छ रजिस्ट्रीकरणों के साथ कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के अधीन स्थापित।

O आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन धारा 12क और धारा 80छ रजिस्ट्रीकरणों के साथ रजिस्ट्रीकृत सार्वजनिक न्यास।

O आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन धारा 12क और धारा 80छ रजिस्ट्रीकरणों के साथ रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी

O कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के अधीन स्थापित कंपनी अथवा केंद्रीय या राज्य सरकार द्वारा स्थापित रजिस्ट्रीकृत न्यास या रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी

O संसद अथवा राज्य विधानमंडल के किसी अधिनियम के अधीन स्थापित कंपनी.

2. (क) *क्या अस्तित्व को किसी कंपनी अथवा कंपनियों के समूह द्वारा स्थापित किया गया है :

O हां O नहीं

(ख) *(i) यदि हां, तो ऐसी कंपनी (यों) का ब्यौरा प्रदान करें :

कंपनी का सीआईएन	कंपनी का नाम	पूर्व पूरित	जोड़ें

(ii) यदि नहीं, क्या अस्तित्व का समान क्रियाकलाप निष्पादित करने में तीन वर्षों का स्थापित पिछला रिकार्ड है

O हां O नहीं

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के अधीन स्थापित कंपनी के मामलों में :

InJaCore

3. (क) विद्यमान अस्तित्व के प्रकार _____

*कंपनी की कारपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन) _____[पूर्व-पूरित]

अन्य कंपनियों के मामले में

(ख) अस्तित्व का नाम _____

(ग)* अस्तित्व के निगमन की तारीख _____(दिन/माह/वर्ष)

(घ)* अस्तित्व का रजिस्ट्रीकृत पता _____

पंक्ति I _____

पंक्ति II _____

शहर _____

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र _____

जिला _____पिन कोड_____

(ङ)* अस्तित्व का ई-मेल आईडी _____[ओटीपी भेजें]

(च)* ई-मेल आईडी के लिए ओटीपी प्रविष्ट करें_____[ओटीपी की पुष्टि करें]

(छ).*कंपनी का पैन : _____

4. अस्तित्व के निदेशकों अथवा बोर्ड के न्यासियों या अध्यक्ष अथवा मुख्य कार्यकारी अधिकारी या सचिव अथवा अधिकृत प्रतिनिधियों का ब्यौरा :

क्र.सं.	नाम	पदनाम	निदेशक पहचान संख्या/स्थायी खाता संख्या	ई-मेल आईडी

संलग्नक :

[संलग्नकों की सूची]

1.* रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण-पत्र की प्रति संलग्न करें

2.* कंपनी के पैन की प्रति संलग्नक करें

[संलग्नक हटाएं]

घोषणा

मुझे इस प्ररूप पर हस्ताक्षर करने और यह घोषणा करने के लिए "अस्तित्व द्वारा *संकल्प संख्या*_____" _____तारीख _____.... के माध्यम से अस्तित्व द्वारा यह घोषित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है कि उक्त प्ररूप में दिया गया विवरण सत्य है और अस्तित्व द्वारा रखे गए दस्तावेजों के अनुरूप भी है।

IndiaCode

धारा 8 कंपनी के मामले में एक निदेशक द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर करने के लिए
रजिस्ट्रीकृत सार्वजनिक न्यास के मामले में एक न्यासी अथवा मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर करने के लिए
रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी के मामले में अध्यक्ष/मुख्य कार्यकारी अधिकारी/सचिव द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर करने के लिए
संसद अथवा राज्य विधायिका के किसी अधिनियम के अधीन स्थापित कंपनी के मामले में प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर करने के लिए

***निम्नलिखित द्वारा डिजिटल हस्ताक्षरित किया जाना है** डीएससी बॉक्स

*पदनाम

*निदेशक का डीआईएन; अथवा _____
न्यासी या सीईओ या अध्यक्ष या मुख्य पदाधिकारी या
अस्तित्व के प्राधिकृत प्रतिनिधि का डीआईएन या पैन

वृत्तिक व्यवहार द्वारा प्रमाण-पत्र

मैं घोषित करता हूँ कि मुझे इस प्ररूप के प्रमाणन के लिए सम्यक् रूप से लगाया हुआ है। यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने कम्पनी अधिनियम, 2013 के उपबंध और इस प्ररूप की विषय-वस्तु एवं इससे संबंधित मामलों के संबंध में अधिनियम के अधीन नियमों को पढ़ लिया है और मैंने उपर्युक्त सूचना (संलग्नकों सहित) कम्पनी आवेदक के पास उपलब्ध मूल अभिलेख से सत्यापित की है जो कि इस प्ररूप की विषय-वस्तु है और उन्हें सत्य, सही एवं पूर्ण पाया है और इस प्ररूप से संबंधित कोई भी सूचना छुपाई नहीं गई है। मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि:

1. उपर्युक्त अभिलेख उचित रूप से तैयार किए गए हैं, अस्तित्व के संबंधित अधिकारियों अथवा प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षरित किए गए हैं और ठीक पाए गए हैं;

2. सभी आवश्यक संलग्नक इस प्ररूप के साथ पूर्ण और सुपाठ्य रूप में संलग्न किए गए हैं।

3. यह समझा गया है कि मैं गलत सत्यापन, यदि किसी स्तर पर पाया जाता है, के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 448 के अधीन कार्रवाई किए जाने के लिए उत्तरदायी हूंगा।

O चार्टर्ड अकाउंटेंट (पूर्णकालिक व्यवसाय में) या O कम्पनी सचिव (पूर्णकालिक व्यवसाय में)
O कॉस्ट अकाउंटेंट (पूर्णकालिक व्यवसाय में)
*एसोसिएट अथवा अध्येता 0 एसोसिएट 0 अध्येता [डीएससी बॉक्स]
*सदस्यता संख्या _____....
*व्यवसाय संख्या का सबूत-पत्र _____....

टिप्पण : धारा 448 और धारा 449 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिनमें क्रमश: मिथ्या विवरण / प्रमाण-पत्र के लिए दंड और मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड का उपबंध है ।

उपांतरित करें	प्ररूप जाँचें	पूर्व-जाँच	प्रस्तुत करें

इस ई प्ररूप को इलेक्ट्रानिक ढंग के माध्यम से कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा अनुरक्षित फाइल पर और प्राधिकृत व्यक्ति और व्यावसायिक द्वारा दी गई तथातथ्यता के आधार पर लिया गया है।"।

[ई-फा.सं. सीएसआर 05/03/2020-सीएसआर-एमसीए]

ज्ञानेश्वर कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

टिप्पण:- मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना संख्या 129, तारीख 27 फरवरी, 2014 द्वारा प्रकाशित किए गए और इन्हें तत्पश्चात् अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 644(अ), तारीख 12 सितंबर, 2014, अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 43(अ), तारीख 19 जनवरी, 2015, अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 540(अ), तारीख 23 मई, 2016 और अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 895(अ), तारीख 19 सितंबर, 2018 और अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 526(अ) तारीख 24 अगस्त, 2020 द्वारा संशोधित किया गया।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd January, 2021

G.S.R. 40(E).—In exercise of the powers conferred by section 135 and sub-sections (1) and (2) of section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Corporate Social Responsibility Policy) Rules, 2014, namely:-

1. **Short title and commencement.** - (1) These rules may be called the **Companies (Corporate Social Responsibility Policy)** Amendment Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette unless explicitly provided elsewhere in this notification.

2. In the **Companies (Corporate Social Responsibility Policy) Rules, 2014 (hereinafter referred to as the said rules), for rule 2, the following rule shall be substituted, namely:-**

"2. Definitions. - (1) In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) "Act" means the Companies Act, 2013 (18 of 2013);

(b) "Administrative overheads" means the expenses incurred by the company for 'general management and administration' of Corporate Social Responsibility functions in the company but shall not include the expenses directly incurred for the designing, implementation, monitoring, and evaluation of a particular Corporate Social Responsibility project or programme;

(c) "Annexure" means the Annexure appended to these rules;

(d) "Corporate Social Responsibility (CSR)" means the activities undertaken by a Company in pursuance of its statutory obligation laid down in section 135 of the Act in accordance with the provisions contained in these rules, but shall not include the following, namely:-

(i) activities undertaken in pursuance of normal course of business of the company:

Provided that any company engaged in research and development activity of new vaccine, drugs and medical devices in their normal course of business may undertake research and development activity of new vaccine, drugs and medical devices related to COVID-19 for financial years 2020-21, 2021-22, 2022-23 subject to the conditions that-

(a) such research and development activities shall be carried out in collaboration with any of the institutes or organisations mentioned in item (ix) of Schedule VII to the Act;

(b) details of such activity shall be disclosed separately in the Annual report on CSR included in the Board's Report;

(ii) any activity undertaken by the company outside India except for training of Indian sports personnel representing any State or Union territory at national level or India at international level;

(iii) contribution of any amount directly or indirectly to any political party under section 182 of the Act;

(iv) activities benefitting employees of the company as defined in clause (k) of section 2 of the Code on Wages, 2019 (29 of 2019);

(v) activities supported by the companies on sponsorship basis for deriving marketing benefits for its products or services;

(vi) activities carried out for fulfilment of any other statutory obligations under any law in force in India;

(e) "CSR Committee" means the Corporate Social Responsibility Committee of the Board referred to in section 135 of the Act;

(f) "CSR Policy" means a statement containing the approach and direction given by the board of a company, taking into account the recommendations of its CSR Committee, and includes guiding principles for selection, implementation and monitoring of activities as well as formulation of the annual action plan;

(g) "International Organisation" means an organisation notified by the Central Government as an international organisation under section 3 of the United Nations (Privileges and Immunities) Act, 1947 (46 of 1947), to which the provisions of the Schedule to the said Act apply;

(h) "Net profit" means the net profit of a company as per its financial statement prepared in accordance with the applicable provisions of the Act, but shall not include the following, namely: -

(i) any profit arising from any overseas branch or branches of the company, whether operated as a separate company or otherwise; and

(ii) any dividend received from other companies in India, which are covered under and complying with the provisions of section 135 of the Act:

Provided that in case of a foreign company covered under these rules, net profit means the net profit of such company as per profit and loss account prepared in terms of clause (a) of sub-section (1) of section 381, read with section 198 of the Act;

(i) "Ongoing Project" means a multi-year project undertaken by a Company in fulfilment of its CSR obligation having timelines not exceeding three years excluding the financial year in which it was commenced, and shall include such project that was initially not approved as a multi-year project but whose duration has been extended beyond one year by the board based on reasonable justification;

(j) "Public Authority" means 'Public Authority' as defined in clause (h) of section 2 of the Right to Information Act, 2005 (22 of 2005);

(k) "section" means a section of the Act.

(2) Words and expressions used and not defined in these rules but defined in the Act shall have the same meanings respectively assigned to them in the Act. ".

3. In the said rules, in rule 3, in sub-rule (2), in clause (b), for the words, brackets and figure "sub-section (2) to (5)", the words, brackets and figure "sub-section (2) to (6)" shall be substituted.

4. In the said rules, for rule 4, the following rule shall be substituted, namely:-

"**4. CSR Implementation**. – (1) The Board shall ensure that the CSR activities are undertaken by the company itself or through -

(a) a company established under section 8 of the Act, or a registered public trust or a registered society, registered under section 12A and 80 G of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961), established by the company, either singly or along with any other company, or

(b) a company established under section 8 of the Act or a registered trust or a registered society, established by the Central Government or State Government; or

(c) any entity established under an Act of Parliament or a State legislature; or

(d) a company established under section 8 of the Act, or a registered public trust or a registered society, registered under section 12A and 80G of the Income Tax Act, 1961, and having an established track record of at least three years in undertaking similar activities.

(2) (a) Every entity, covered under sub-rule (1), who intends to undertake any CSR activity, shall register itself with the Central Government by filing the form CSR-1 electronically with the Registrar, with effect from the **01st day of April 2021:**

Provided that the provisions of this sub-rule shall not affect the CSR projects or programmes approved prior to the **01st day of April 2021.**

(b) Form CSR-1 shall be signed and submitted electronically by the entity and shall be verified digitally by a Chartered Accountant in practice or a Company Secretary in practice or a Cost Accountant in practice.

(c) On the submission of the Form CSR-1 on the portal, a unique CSR Registration Number shall be generated by the system automatically.

(3) A company may engage international organisations for designing, monitoring and evaluation of the CSR projects or programmes as per its CSR policy as well as for capacity building of their own personnel for CSR.

(4) A company may also collaborate with other companies for undertaking projects or programmes or CSR activities in such a manner that the CSR committees of respective companies are in a position to report separately on such projects or programmes in accordance with these rules.

(5) The Board of a company shall satisfy itself that the funds so disbursed have been utilised for the purposes and in the manner as approved by it and the Chief Financial Officer or the person responsible for financial management shall certify to the effect.

(6) In case of ongoing project, the Board of a Company shall monitor the implementation of the project with reference to the approved timelines and year-wise allocation and shall be competent to make modifications, if any, for smooth implementation of the project within the overall permissible time period. ".

5. In the said rules, in rule 5, for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(2) The CSR Committee shall formulate and recommend to the Board, an annual action plan in pursuance of its CSR policy, which shall include the following, namely:-

(a) the list of CSR projects or programmes that are approved to be undertaken in areas or subjects specified in Schedule VII of the Act;

(b) the manner of execution of such projects or programmes as specified in sub-rule (1) of rule 4;

(c) the modalities of utilisation of funds and implementation schedules for the projects or programmes;

(d) monitoring and reporting mechanism for the projects or programmes; and

(e) details of need and impact assessment, if any, for the projects undertaken by the company:

Provided that Board may alter such plan at any time during the financial year, as per the recommendation of its CSR Committee, based on the reasonable justification to that effect. ".

6. In the said rules, rule 6 shall be omitted.

7. In the said rules, for rule 7, the following rule shall be substituted, namely:-

"7.CSR Expenditure. - (1) The board shall ensure that the administrative overheads shall not exceed five percent of total CSR expenditure of the company for the financial year.

(2) Any surplus arising out of the CSR activities shall not form part of the business profit of a company and shall be ploughed back into the same project or shall be transferred to the Unspent CSR Account and spent in pursuance of CSR policy and annual action plan of the company or transfer such surplus amount to a Fund specified in Schedule VII, within a period of six months of the expiry of the financial year.

(3) Where a company spends an amount in excess of requirement provided under sub-section (5) of section 135 , such excess amount may be set off against the requirement to spend under sub-section (5) of section 135 up to immediate succeeding three financial years subject to the conditions that –

(i) the excess amount available for set off shall not include the surplus arising out of the CSR activities, if any, in pursuance of sub-rule (2) of this rule.

(ii) the Board of the company shall pass a resolution to that effect.

(4) The CSR amount may be spent by a company for creation or acquisition of a capital asset, which shall be held by -

(a) a company established under section 8 of the Act, or a Registered Public Trust or Registered Society, having charitable objects and CSR Registration Number under sub-rule (2) of rule 4; or

(b) beneficiaries of the said CSR project, in the form of self-help groups, collectives, entities; or

(c) a public authority:

Provided that any capital asset created by a company prior to the commencement of the Companies (Corporate Social Responsibility Policy) Amendment Rules, 2021, shall within a period of one hundred and eighty days from such commencement comply with the requirement of this rule, which may be extended by a further period of not more than ninety days with the approval of the Board based on reasonable justification. ".

8. In the said rules, for rule 8, the following rule shall be substituted, namely:-

"8. CSR Reporting .- (1) The Board's Report of a company covered under these rules pertaining to any financial year shall include an annual report on CSR containing particulars specified in Annexure I or Annexure II, as applicable.

(2) In case of a foreign company, the balance sheet filed under clause (b) of sub-section (1) of section 381 of the Act, shall contain an annual report on CSR containing particulars specified in Annexure I or Annexure II, as applicable.

(3) (a) Every company having average CSR obligation of ten crore rupees or more in pursuance of sub-section (5) of section 135 of the Act, in the three immediately preceding financial years, shall undertake impact assessment, through an independent agency, of their CSR projects having outlays of one crore rupees or more, and which have been completed not less than one year before undertaking the impact study.

(b) The impact assessment reports shall be placed before the Board and shall be annexed to the annual report on CSR.

(c) A Company undertaking impact assessment may book the expenditure towards Corporate Social Responsibility for that financial year, which shall not exceed five percent of the total CSR expenditure for that financial year or fifty lakh rupees, whichever is less. ".

9. In the said rules, for rule 9, the following rules shall be substituted, namely:-

"9. Display of CSR activities on its website. - The Board of Directors of the Company shall mandatorily disclose the composition of the CSR Committee, and CSR Policy and Projects approved by the Board on their website, if any, for public access.

10. Transfer of unspent CSR amount. - Until a fund is specified in Schedule VII for the purposes of sub-section (5) and(6) of section 135 of the Act, the unspent CSR amount, if any, shall be transferred by the company to any fund included in schedule VII of the Act.".

10. In the said rules,-

(i) The Annexure shall be numbered as "Annexure –I" and in the heading of Annexure I as so numbered, after the words "BOARD'S REPORT", the words and figures "FOR FINANCIAL YEAR COMMENCED PRIOR TO 1ST DAY OF APRIL, 2020" shall be inserted;

(ii) after Annexure –I as so numbered, the following Annexure shall be inserted, namely:-

"ANNEXURE -II

FORMAT FOR THE ANNUAL REPORT ON CSR ACTIVITIES

TO BE INCLUDED IN THE BOARD'S REPORT FOR FINANCIAL

YEAR COMMENCING ON OR AFTER 1ST DAY OF APRIL, 2020

1. Brief outline on CSR Policy of the Company.

2. Composition of CSR Committee:

Sl. No.	Name of Director	Designation / Nature of Directorship	Number of meetings of CSR Committee held during the year	Number of meetings of CSR Committee attended during the year

IndiaCode

3. Provide the web-link where Composition of CSR committee, CSR Policy and CSR projects approved by the board are disclosed on the website of the company.

4. Provide the details of Impact assessment of CSR projects carried out in pursuance of sub-rule (3) of rule 8 of the Companies (Corporate Social responsibility Policy) Rules, 2014, if applicable (attach the report).

5. Details of the amount available for set off in pursuance of sub-rule (3) of rule 7 of the Companies (Corporate Social responsibility Policy) Rules, 2014 and amount required for set off for the financial year, if any

Sl. No.	Financial Year	Amount available for set-off from preceding financial years (in Rs)	Amount required to be set-off for the financial year, if any (in Rs)
1			
2			
3			
	TOTAL		

6. Average net profit of the company as per section 135(5).

7. (a) Two percent of average net profit of the company as per section 135(5)

(b) Surplus arising out of the CSR projects or programmes or activities of the previous financial years.

(c) Amount required to be set off for the financial year,

if any

(d) Total CSR obligation for the financial year (7a+7b-7c).

8. (a) CSR amount spent or unspent for the financial year:

Total Amount Spent for the Financial Year. (in Rs.)	Amount Unspent (in Rs.)				
	Total Amount transferred to Unspent CSR Account as per section 135(6).		Amount transferred to any fund specified under Schedule VII as per second proviso to section 135(5).		
	Amount.	Date of transfer.	Name of the Fund	Amount.	Date of transfer.

(b) Details of CSR amount spent against **ongoing projects** for the financial year:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
Sl. No.	Name of the Project.	Item from the list of activities in Schedule VII to the Act.	Local area (Yes/No).	Location of the project.		Project duration.	Amount allocated for the project (in Rs.).	Amount spent in the current financial Year (in Rs.).	Amount transferred to Unspent CSR Account for the project as per Section 135(6) (in Rs.).	Mode of Implementation - Direct (Yes/No).	Mode of Implementation - Through Implementing Agency	
				State.	District.						Name	CSR Registration number.
1.												
2.												
3.												
	TOTAL											

(c) Details of CSR amount spent against **other than ongoing projects** for the financial year:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	
Sl. No.	Name of the Project	Item from the list of activities in schedule VII to the Act.	Local area (Yes/ No).	Location of the project.		Amount spent for the project (in Rs.).	Mode of implementation - Direct (Yes/No).	Mode of implementation - Through implementing agency.	
				State.	District.			Name.	CSR registration number.
1.									
2.									
3.									
	TOTAL								

(d) Amount spent in Administrative Overheads

(e) Amount spent on Impact Assessment, if applicable

(f) Total amount spent for the Financial Year (8b+8c+8d+8e)

(g) Excess amount for set off, if any

Sl. No.	Particular	Amount (in Rs.)
(i)	Two percent of average net profit of the company as per section 135(5)	
(ii)	Total amount spent for the Financial Year	
(iii)	Excess amount spent for the financial year [(ii)-(i)]	
(iv)	Surplus arising out of the CSR projects or programmes or activities of the previous financial years, if any	
(v)	Amount available for set off in succeeding financial years [(iii)-(iv)]	

9. (a) Details of Unspent CSR amount for the preceding three financial years:

Sl. No.	Preceding Financial Year.	Amount transferred to Unspent CSR Account under section 135 (6) (in Rs.)	Amount spent in the reporting Financial Year (in Rs.).	Amount transferred to any fund specified under Schedule VII as per section 135(6), if any.			Amount remaining to be spent in succeeding financial years. (in Rs.)
				Name of the Fund	Amount (in Rs).	Date of transfer.	
1.							
2.							
3.							
	TOTAL						

IndiaCode

(b) Details of CSR amount spent in the financial year for **ongoing projects** of the preceding financial year(s):

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Sl. No.	Project ID.	Name of the Project.	Financial Year in which the project was commenced.	Project duration.	Total amount allocated for the project (in Rs.).	Amount spent on the project in the reporting Financial Year (in Rs).	Cumulative amount spent at the end of reporting Financial Year. (in Rs.)	Status of the project - Completed /Ongoing.
1.								
2.								
3.								
	TOTAL							

10. In case of creation or acquisition of capital asset, furnish the details relating to the asset so created or acquired through CSR spent in the financial year

(asset-wise details).

(a) Date of creation or acquisition of the capital asset(s).

(b) Amount of CSR spent for creation or acquisition of capital asset.

(c) Details of the entity or public authority or beneficiary under whose name such capital asset is registered, their address etc.

(d) Provide details of the capital asset(s) created or acquired (including complete address and location of the capital asset).

11. Specify the reason(s), if the company has failed to spend two per cent of the average net profit as per section 135(5).

Sd/- (Chief Executive Officer or Managing Director or Director).	Sd/- (Chairman CSR Committee).	Sd/- [Person specified under clause (d) of sub-section (1) of section 380 of the Act] (Wherever applicable).

"

11. In the said rules, after annexure-II, following e-form shall be inserted, namely:

"

CSR-1

(Pursuant to section 135 of the Companies Act, 2013 and rule 4(1) and (2) of the Companies (CSR Policy) Rules, 2014)

सत्यमेव जयते

Registration of Entities for undertaking CSR Activities

Form language o English o Hindi

Refer the instruction kit for filing the form.

1. *Nature of the Entity:

- ◯ Company established under section 8 of the Companies Act, 2013 with section 12A and section 80G registrations under the Income Tax Act, 1961.
- ◯ Registered Public Trust with section 12A and section 80G registrations under the Income Tax Act, 1961.
- ◯ Registered Society with section 12A and section 80G registrations under the Income Tax Act, 1961.
- ◯ Company established under section 8 of the Companies Act, 2013 or Registered Trust or Registered Society established by the Central Government or State Government.
- ◯ Entity established under an Act of Parliament or State Legislature.

2. (a)Whether the Entity is established by any company or group of companies:

◯ Yes ◯ No

(b)(i) If yes, then provide the details of such company (s):

CIN of Company	Pre-fill	Add

Name of Company

(ii) If no, whether the entity has an established track record of three years in undertaking similar activities : ○ Yes ○ No

3. (a)* Type of existing entity:

*CIN/ Registration Number: Pre-fill

(In case of a section 8 company, enter CIN. Else, enter registration number)

(b) *Name of the entity

(c) *Date of incorporation of the entity (DD/MM/YYYY)

(d) *Address of the entity:

Line I

Line II

City

State/ Union territory

District Pin Code

(e)* E-Mail ID of the entity Send OTP

(f)*Enter OTP for email ID Verify OTP

(g) *PAN of the entity

4.*Details of Directors/ Board of Trustees/ Chairman/ CEO/ Secretary/ Authorised Representatives of the entity:

Sl. No.	Name	Designation	DIN/PAN	Email ID

IndiaCode

Attachments:

List of Attachments

1.* Copy of Certificate of Registration; Attach

2.*Copy of PAN of entity ; Attach

Remove Attachment

***Declaration**

I am authorized by the Entity vide *resolution number [] *dated [] to sign this form and declare that the particulars given in the form herein above are true and also are in agreement with the documents maintained by the Entity.

To be digitally signed by one director in case of Section 8 company

To be digitally signed by one of the Trustee/ CEO in case of Registered Public Trust

To be digitally signed by Chairperson/ CEO/ Secretary in case of Registered Society

To be digitally signed by Authorised Representative in case of Entity established under an Act of Parliament or State Legislature

IndiaCode

***To be digitally signed by** DSC Box

*Designation

*DIN of the director; or DIN or PAN of the Trustee or CEO or Chairperson or Chief functionary or authorised representative of the Entity;

***Certificate by Practicing Professional**

I declare that I have been duly engaged for the purpose of certification of this form. It is hereby certified that I have gone through the provisions of the Companies Act, 2013 and Rules thereunder for the subject matter of this form and matters incidental thereto and I have verified the above particulars (including attachment(s)) from the original/certified records maintained by the Company/ applicant which is subject matter of this form and found them to be true, correct and complete and no information material to this form has been suppressed. I further certify that:

1. The said records have been properly prepared, signed by the required officers/ authorised representatives of the entity and were found to be in order;

2. All the required attachments have been completely and legibly attached to this form;

3. It is understood that I shall be liable for action under Section 448 of the Companies Act, 2013 for wrong certification, if any found at any stage.

***To be digitally signed by** DSC Box

◯ Chartered accountant (in whole-time practice) ◯ Company secretary (in whole-time practice)

◯ Cost accountant (in whole-time practice)

*Whether associate or fellow ◯ Associate ◯ Fellow

*Membership number

Certificate of practice number

Note: Attention is drawn to provisions of Section 448 and 449 of the Companies Act, 2013 which provide for punishment for false statement/ certificate and punishment for false evidence respectively.

Modify	Check form	Pre Scrutiny	Submit

This e-form has been taken on file maintained by the registrar of companies through electronic mode on the basis of statement of correctness given by the authorised person and professional."

IndiaCode

[E-F. No. CSR-05/3/2020-CSR-MCA]

GYANESHWAR KUMAR SINGH, Jt. Secy.

Note:— The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 129(E), dated the 27th February, 2014 and were subsequently amended by notification number G.S.R. 644(E), dated the 12th September, 2014, notification number G.S.R. 43(E), dated the 19th January, 2015, notification number G.S.R. 540 (E), dated the 23rd May, 2016, notification number G.S.R. 895(E), dated the 19th September, 2018 and notification number G.S.R. 526(E), dated the 24th August, 2020.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.